

(84)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं0 सं0-निग / सारा-(निगम) नि०वि०था०का०-33/2023- ५९५५ (S) पटना, दिनांक ३.१०.२३
अधिसूचना

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-2703 (अनु०) दिनांक-05.08.2023 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-1484 दिनांक-02.08.2023 के द्वारा श्री श्रीकान्त शर्मा, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को विकद 1,47,41,569/- (एक करोड़ सैतालीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ उनहतर रुपये) के प्रत्यानुपत्तिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-028/2023, दिनांक-24.07.2023 धारा-13-(2) सहपठित धारा-13(1)(बी), भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किये जाने की सूचना दी गई। इसके साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शर्मा के पत्र प्रधिकारी, भागलपुर स्थित आवास पर तलाशी के क्रम में नगद 97,80,000/- (सन्तानवे लाख अस्सी हजार ०३ OCT (खण्ड) ८३९ रुपये) एवं १८ कैरेट सोना के ०८ बिस्कुट मूल्य-34,53,975/- (चौतीस लाख तीरपन हजार नौ सौ पचहत्तर लाख तीरसठ हजार दो सौ दस रुपये) एवं १८ कैरेट सोने का आभूषण मूल्य-31,63,210/- (इकतीस लाख तीरसठ हजार दो सौ दस रुपये) एवं विभिन्न बैंकों में संधारित २८ बैंक खाते, जीवन बीमा में निवेश संबंधी १५ दस्तावेज एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित कुल १० दस्तावेज बरामद किये गये हैं।

2. प्रश्नगत मामले में समीक्षोपरान्त श्री श्रीकान्त शर्मा, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम ९(1)(ग) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

4. श्री शर्मा को निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम १० के अध्याधीन शर्तों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

०९ OCT 2023

५७२९

ज्ञापांक :- निग / सारा-(निगम) नि०वि०था०का०-33/2023-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं धावश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

/ पटना, दिनांक.....

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कू०पू०उ०

ज्ञापांक :— निग / सारा—(निगम) नि०वि०था०का०-३३ / २०२३— / पटना, दिनांक
 प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा—आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।
 अनु०—यथोक्त।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा—(निगम) नि०वि०था०का०-३३ / २०२३— ५९५६ (९५६) पटना, दिनांक ३.१०.२३
 प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना / सचिव, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना / अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—१ / २ / ६ / १३ / १४, एवं ३० (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री श्रीकान्त शर्मा, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२११

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

मेर
२७/११/२३

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:—१४ / अ०प्र०—०३—१९९ / २०२२ ६१०३ / पटना, दिनांक १९/१०/२३
 प्रतिलिपि:— सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(माय०) ११०७/२३

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

५

Page 8242

F/Letter-1 Final